



॥ आवश्यक सूचना ॥

(विज्ञापन संख्या-03/2026)

Regarding Document Verification

विज्ञापन संख्या 03/2026 {PR. No. 009533 (B&C) 2026-27} एवं {PR. No. 009534 (B&C) 2026-27} के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत राज्य के First Referral Units (FRUs) हेतु **Specialist Doctors** यथा Obstetrician and Gynaecologist, Paediatrician, MD Medicine/Physician, Anaesthetist, General Surgeon एवं Orthopaedic Surgeon के संविदागत 450 रिक्त पदों पर नियोजन हेतु दिनांक 07.08.2026 से 21.08.2026 तक सफलतापूर्वक ऑनलाईन आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों का प्रमाण-पत्र सत्यापन किया जाना है। प्रमाण-पत्र सत्यापन के लिए तिथि, समय एवं स्थान का निर्धारण निम्नवत् किया गया है :-

प्रमाण-पत्र सत्यापन हेतु तिथि, समय एवं स्थान →			दिनांक 09.09.2026 (बुधवार) एवं दिनांक 10.09.2026 (गुरुवार) को दो बैच में पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW), शेखपुरा, पटना-14	
पद का नाम	कुल विज्ञापित पद	अभ्यर्थियों की कुल संख्या	प्रकाशित सूची के अनुसार अभ्यर्थियों की क्रम संख्या	
			09/09/2026	
			Batch-I (10AM-1PM)	Batch-II (2PM-5PM)
Anaesthetist	132	12	1-12	-
Paediatrician	115	33	1-33	-
Obstetrician and Gynaecologist	94	73	1-14	15-73
			10/09/2026	
MD Medicine/Physician	60	20	1-20	-
General Surgeon	27	34	1-34	-
Orthopaedic Surgeon	22	74	1-10	11-74
कुल	450	246		

उक्त पदों हेतु अभ्यर्थियों का Document Verification/ Counseling दिनांक- 09.09.2026 एवं 10.09.2026 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक दो पाली में निर्धारित किया गया है। पहले चरण (Morning) में आने वाले अभ्यर्थियों का Registration Time 09:30AM एवं दूसरे चरण (Afternoon) में आने वाले अभ्यर्थियों का Registration Time 01:30PM निर्धारित है। अतः अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि:-

- (1) उक्त पद के अभ्यर्थी उपर्युक्त निर्धारित तिथि को वेबसाइट पर प्रकाशित सूची के क्रमानुसार स्वयं उपस्थित होकर प्रमाण-पत्र सत्यापन करायेंगे।
- (2) प्रमाण-पत्र सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित होना अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेवारी होगी।
- (3) इस संबंध में विज्ञापन में प्रकाशित प्रमाण-पत्र सत्यापन संबंधी सभी निदेशों का अनुपालन करना अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेवारी होगी।
- (4) Shortlisted अभ्यर्थी उक्त तिथि को (प्रकाशित सूची/तिथि के अनुसार) विज्ञापन में उल्लेखित सभी प्रमाण-पत्रों की मूलप्रति एवं उसका एक सेट स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति (जो आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में अंकित/अपलोड किया गया है) अनिवार्य रूप से लाना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त Documents पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। प्रमाण-पत्र सत्यापन में अभ्यर्थी को निम्नलिखित Documents (मूल प्रति एवं एक सेट छायाप्रति) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा -

Signature



- (i) ऑनलाईन भरे गये आवेदन की प्रति (Copy of Online Filled up Applicant form)।
- (ii) 02 (दो) पासपोर्ट आकार का अद्यतन रंगीन फोटोग्राफ, जो ऑनलाईन आवेदन में अपलोड किया गया है।
- (iii) फोटोयुक्त पहचान प्रमाण-पत्र (AADHAR/PAN/Driving License/Voter ID/Passport)।
- (iv) जन्म तिथि का साक्ष्य (Proof of Date of Birth) हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र।
- (v) सभी शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण-पत्र एवं अंक-पत्र/इन्टर्नशीप सहित डिग्री (दसवीं से अंतिम योग्यता तक)।
- (vi) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निबंधन प्रमाण-पत्र।
- (vii) ऑनलाईन आवेदन भरते समय आरक्षण का दावा के अनुसार सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत सभी प्रमाण-पत्र यथा- स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, क्रीमीलेयर रहित जाति प्रमाण-पत्र, आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र (जो भी लागू हो) इत्यादि।
- (viii) दिव्यांगता (निःशक्तता) प्रमाण-पत्र की मूल प्रति।
- (ix) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी के आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा मनोनीत पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत प्रमाण पत्र।
- (x) विभागीय कर्मों के रूप में उम्र सीमा में छूट प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का सक्षम प्राधिकार से निर्गत कार्यानुभव प्रमाण-पत्र।
- (xi) अन्य संबंधित प्रमाण-पत्र/अभिलेख।
- (xii) आवेदक का वही प्रमाण-पत्र/अंक पत्र मान्य होंगे, जिसका उल्लेख ऑनलाईन आवेदन में अंकित/अपलोड किया गया है।
- (xiii) आवेदक द्वारा वैसे प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र, जिसका उल्लेख ऑनलाईन आवेदन में नहीं किया गया होगा, को प्रमाण-पत्र सत्यापन (Document Verification) के दौरान समिति द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस आधार पर अर्हता/आरक्षण के अधिमानता से वंचित रहने वाले अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेवार होंगे तथा भविष्य में उक्त के संबंध में कोई दावा मान्य नहीं किया जाएगा। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अर्हता/आरक्षण से संबंधित सभी प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र से संतुष्ट होने के उपरांत ही ऑनलाईन आवेदन में अंकित करें।
- (xiv) आयु एवं शैक्षणिक योग्यता के लिए Cut-off Date- 01.08.2026 निर्धारित है। अर्थात् दिनांक 01.08.2026 तक वांछित आयु एवं शैक्षणिक योग्यता प्राप्त होनी चाहिए। उक्त तिथि तक शैक्षणिक योग्यता/उत्तीर्णता धारण करने से संबंधित प्रमाण-पत्र आवेदन भरने की अंतिम तिथि दिनांक 21.08.2026 तक निर्गत होना आवश्यक है।
- (xv) वैसे आवेदक, जो उक्त विज्ञापित पदों पर वर्तमान में कार्यरत हैं अथवा पूर्व में कार्यरत रह चुके हैं, वे राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के मानव संसाधन नियमावली में निहित प्रावधानों के तहत अयोग्य होंगे। भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि ऐसे किसी अभ्यर्थी का चयन हुआ है तो उनकी अभ्यर्थिता तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
- (xvi) प्रमाण-पत्र सत्यापन के क्रम में अथवा किसी भी स्तर पर प्रमाण-पत्र फर्जी/जाली पाये जाने की स्थिति में उनकी अभ्यर्थिता रद्द करते हुए उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
- (xvii) साथ ही, उम्मीदवारों द्वारा इन सभी मूल प्रमाण-पत्रों एवं अंक-पत्रों की छायाप्रति का एक सेट काँउसेलिंग के दिन जमा करना अनिवार्य होगा।
- (xviii) यदि अभ्यर्थियों द्वारा काँउसेलिंग के दिन उपरोक्त वर्णित सभी प्रमाण पत्र मूल में प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं, तो इसके लिए कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों की अर्हता के संबंध में यथासमय समुचित निर्णय लेने के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार स्वतंत्र होगी।
- (xix) न्यूनतम अनिवार्य अर्हता : पदवार प्रकाशित विज्ञापन एवं ToR के अनुसार।



(xx) आरक्षण का दावा करने संबंधित विशिष्ट दिशा-निर्देश निम्न प्रकार है:-

- आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी (अभ्यर्थी) को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। Online आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। Online आवेदन में भरा गया स्थायी पता (स्थायी निवास) ही आरक्षण प्रयोजन के लिए अनुमान्य होगा।
- Online आवेदन में अंकित आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि/भ्रष्टता होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।
- आरक्षण का दावा करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मामले में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राजस्व पदाधिकारी/अंचलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र (अविवाहित/विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए अपने पिता के नाम एवं स्थायी पता से निर्गत प्रमाण-पत्र एवं निवास प्रमाण-पत्र) अनिवार्य रूप से होना चाहिए अन्यथा आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
- उसी प्रकार, आरक्षण का दावा करने वाले पिछड़ा वर्ग/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक 673 दिनांक 8.3.2011 के आलोक में बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राजस्व पदाधिकारी/अंचलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जाति प्रमाण-पत्र एवं निवास प्रमाण-पत्र (अविवाहित/विवाहित महिला अभ्यर्थी के लिए अपने पिता के नाम एवं स्थायी पता से निर्गत प्रमाण-पत्र एवं निवास प्रमाण-पत्र) एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र मान्य होगा।
- पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नहीं होने संबंधी घोषणा-पत्र (विगत एक वर्ष से पूर्व का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर) का होना अनिवार्य होगा।
- सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 2622 दिनांक 26.02.2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को 10% आरक्षण देय होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित संबंधित जिलाधिकारी/अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र (अनुसूची-1/ प्रपत्र-1) मान्य होगा।
- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक-2326 दिनांक 15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को उपलब्ध रक्ति में 35% क्षैतिज आरक्षण देय होगा।
- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या-13062 दिनांक-12.10.2017 एवं 962 दिनांक 22.01.2021 के आलोक में दिव्यांगों को रक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 4% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का दावा करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकार (Medical Board) द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत कम से कम 40% या उससे अधिक प्रतिशत का निःशक्तता (दिव्यांगता) प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए।
- सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-2526, दिनांक-18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत हैं, के पोता/पोती/नाती/नतिनी को रक्ति के उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 2% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानियों के नाती/नतिनी/पोता/पोती के लिए आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के नाती/नतिनी/पोता/पोती होने का) प्रमाण-पत्र एवं पहचान-पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए।

(5) यदि कोई अभ्यर्थी Document Verification में उपरोक्त वर्णित सभी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं तो इसके लिए कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों की अर्हता के संबंध में यथासमय समुचित निर्णय लेने के लिए समिति स्वतंत्र होगी।

[Signature]



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



- (6) योग्यता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने ऑनलाईन आवेदन में किया है। आयुसीमा, शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यानुभव हेतु **Cut-off date-01.08.2026** निर्धारित की गयी है। विस्तृत निदेश की कंडिका- 15 (iv) के आलोक में उक्त सभी प्रमाण-पत्र/अंक पत्र आवेदन भरने की अंतिम तिथि यथा **21/08/2026** तक निर्गत होना आवश्यक है।
- (7) अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि Counselling से संबंधित अद्यतन जानकारी वेबसाइट- <https://shs.bihar.gov.in> पर प्राप्त कर सकते हैं। उक्त वेबसाइट निरंतर देखना अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी है। यदि किसी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं होती है तो उसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार जिम्मेदार नहीं होगी।
- (8) Document Verification/ Counseling में भाग लेने हेतु किसी भी प्रकार का TA/DA देय नहीं होगा।
- (9) Document Verification के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार का उक्त बिन्दु पर निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

(Signature)

(राजेश कुमार)
प्रशासी पदाधिकारी-सह-
प्रभारी, मानव संसाधन